# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 13/2019**

**अनवान :**

1. जगदीश पुत्र श्री दानीराम जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रताप पुत्र श्री दानीराम जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. हरीसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. भागीरथ पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. भजनलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कृष्णचन्द्र पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. पतराम उर्फ धनपत पुत्र रामजस जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

**– अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट वास्ते दुरूस्ती रिकार्ड**

**उपस्थिति :** वकील श्री सन्दीप गोदारा **: प्रार्थीगण**

पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक : 28/01/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 207/70 के मु0नं0 134 के किला नं0 13 ता 18 मु0नं0 135 के किला नं0 11, 12, 13/1 की 0.025 है0, 19/1 की 0.139 है0 20 की कुल 2.4280 है0 नहरी 2.3650 है0 गै0मु0 खाला 0.063 है0 में हरीसिंह, भागीरथ, भजनलाल, कृष्णचन्द्र, पतराम उर्फ धनपत पि0 रामजस 5/6 हिस्सा, जगदीश, रामप्रताप पि0 दानीराम 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण ग्राम बेर के मूल निवासी है जिनका जन्म बेर गांव में हुआ है और प्रार्थीगण अन्म से ही गांव बेर तहसील भादरा में निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधारकार्ड व भामाशाह कार्ड आदि सभी दस्तावेज बेर गांव के पते पर बने हुऐ है। रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 207/70 में प्रार्थीगण के गांव का नाम साकिन आसन दर्ज है जो कि मात्र एक लिपीकीय भूल है। प्रार्थीगण मूल रूप से बेर गांव में निवास करते है। प्रार्थीगण के नाम से चक 3 जेएसएल



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के खाता सं0 129/129 में प्रार्थीगण का निवास स्थान बेर दर्ज है। जिससे साफा रोशन है। चक 3 जेएसएल की जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपर वर्णित कृषि भूमि से सम्बधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का निवास स्थान साकिन आसन दर्ज होने से प्रार्थीगण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेन देन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाइन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और प्रार्थीगण के गांव का नाम आसन दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थीगण के चक 4 जेएसएल के खाता सं0 207/70 में निवास स्थान साकिन आसन की जगह साकिन बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने चक 4 जेएसएल के खाता सं0 207/70 के राजस्व रिकार्ड में अपना निवास स्थान/पता दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 207/70 में प्रार्थीगण के गांव का नाम साकिन आसन दर्ज है जो कि मात्र एक लिपीकीय भूल है। प्रार्थीगण मूल रूप से बेर गांव में निवास करते है।''** जिसके समर्थन में प्रार्थीगण ने कार्यालय ग्राम पंचायत गढ़ीछानी से जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि परिवार राशनकार्ड प्रदर्श 4ए, प्रमाणित प्रतिलिपि आधार कार्ड प्रदर्श 5ए, प्रमाणित प्रतिलिपि वोटर आई डी कार्ड प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है व अन्य प्रार्थीगण ने भी अपने उक्त दस्तावेज पेश किये है जिसमें प्रार्थीगण के पता ग्राम बेर ही दर्ज है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 जेएसएल के खाता सं0 129/129 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें प्रार्थीगण भागीरथ, भजनलाल, पतराम उर्फ धनपत, कृष्ण पि0 रामजस साकिन **'बेर'** दर्ज है तथा प्रार्थी हरीसिंह व जगदीश ने अपने मुख्य परीक्षा में अपना जन्म ग्राम बेर में होना, गांव बेर के मूल निवासी होना व चक 4 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में भूल से साकिन आसन दर्ज होना सशपथ अंकित किया है तथा प्रतिवादी पेरोकार राज ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है मात्र फोरमल जबाब पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त चक 4 जेएसएल के खाता सं0 207/70 में प्रार्थीगण का निवास स्थान साकिन–आसन के स्थान पर साकिन बेर तहसील भादरा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 14:50:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: